



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 60 / SEIAA/2022

Date: 9/4/22

प्रति,

Shri Kuldeep Udayniya,

S/o Shri Kripashankar Udayniya,

Village - Simrapari, Dist. Katni, (MP)

विषय:-Case No 6197/2019: Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (6000 cum per annum) (Khasra No. 139), Village - Nittarrii, Tehsil - Sagar, Dist. Sagar (MP) by Shri Kuldeep Udayniya, S/o Shri Kripashankar Udayniya, Village - Simrapari, Dist. Katni, (MP)

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 715वी बैठक दिनांक 08.03.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

This case was discussed in in 576 SEIAA meeting dated 21-10-19 and it was recorded that.....  
".....This case was discussed before committee as PP was informed to submit above information vide letter no 370 dated 17/06/2019 and reminder was also sent to the PP vide letter no. 635 dated 11/09/2019. PP so far has not submitted the desired information thus committee after deliberations decided that the case is recommended for delisting in the light of MoEF&CC OM file No. J-11013-5-2009-IA-II (part) dated 30/10/2012."

As per above observation of SEAC, it has been decided to delist the case on the condition that if PP intends to present the case in SEIAA, it will then be relisted for appraisal. Copy to PP and all concerned.  
Project Proponent vide letter dated 21.10.2022 has requested to relist the case with submitting the the desired information (SEAC 378 dated 14.10.2019)

Note: PP has not submitted

- Revised EMP includes cost of fencing length & VT.
- Revised MO certificate as in the submitted certificate 02 mines are mentioned but area of only one mine is given

Commitment that crusher shall be located from the 100 meters away from the road

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 378वी बैठक दिनांक 14.10.2019 में चाही गई जानकारी जमा करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत भी चाही गई जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया, तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण आपका का निरस्त किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 6 /SEIAA/2022

दिनांक - 9/4/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - कटनी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - कटनी (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - कटनी (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)  
प्रभारी अधिकारी